

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

18207-281

संख्या / दस-लाइसेंस-248 / व्यवस्थापन परिणाम / 2014-15 दिनांक: इलाहाबाद: जनवरी 29, 2014

समस्त जिला आबकारी अधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

विशय :- वर्ष 2014-15 के व्यवस्थापन परिणाम उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

कृपया वर्ष 2014-15 के लिये अपने जनपद की प्रथम एवं द्वितीय चरण में व्यवस्थित करायी गयी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप एवं भाँग की दुकानों से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रारूपों में प्रथम चरण की सूचना दिनांक 07.02.2014 तक तथा द्वितीय चरण की सूचना दिनांक 14.02.2014 तक तथा तृतीय एवं अंतिम चरण की सूचना दिनांक 20.02.2014 तक तथा भाँग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन परिणाम दिनांक 11.02.2014 तक फ़ैक्स/ई-मेल (licupexcise@gmail.com) द्वारा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रेषित किये गये विवरण पत्रों की पोस्ट कापी अनिवार्य रूप से स्पीडपोस्ट / विशेष वाहक से भेजी जाय :-

वर्ष 2014-15 के लिए देशी शराब/विदेशी मदिरा/बीयर एवं माडल भाप्स की दुकानों के प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरण के व्यवस्थापन का विवरण															
दुकान का प्रकार	वर्ष 2013-14 हेतु व्यवस्थित दुकानों की संख्या	वर्ष 2014-15 हेतु नवसृजित दुकानों की संख्या	वर्ष 2014-15 हेतु व्यवस्थित दुकानों की जाने वाली कुल दुकानों की संख्या (2+3)	वर्ष 2013-14 के लिए व्यवस्थित वार्षिक एम0जी0 लाइसेंस फीस (ब0ली0 में/ रू0 में)	वर्ष 2014-15 हेतु निर्धारित वार्षिक एम0जी0 व यू0/लाइसेंस फीस (ब0ली0 में/ रू0 में)	प्रथम चरण में नवीनीकरण के माध्यम से व्यवस्थित दुकानों/ लाइसेंस फीस का विवरण	द्वितीय चरण में सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थित दुकानों/ लाइसेंस फीस का विवरण	तृतीय चरण में सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थित दुकानों/ लाइसेंस फीस का विवरण	प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण के व्यवस्थापन के पश्चात् कुल व्यवस्थित दुकानों/ लाइसेंस फीस का विवरण	व्यवस्थित दुकानों की संख्या	व्यवस्थापन हेतु अवशेष एम0जी0 व यू0/ लाइसेंस फीस (ब0ली0/ रू0 में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
देशी शराब															
विदेशी मदिरा															
बीयर															
माडल शाप															

नोट :- 1-माडल शाप की लाइसेंस फीस के कालम में "मदिरा पिलाने हेतु ली गयी लाइसेंस फीस" भी सम्मिलित रहेगी।

2-प्रत्येक चरण के व्यवस्थापन के पश्चात् कालम-13, 14, 15 व 16 के अनुसार सूचनायें भी दी जायें।

क्र० सं०	जनपद का नाम	वर्ष 2013-14 का विवरण					वर्ष 2014-15 हेतु व्यवस्थित मांग दुकानों का विवरण				
		व्यवस्थित दुकानों की संख्या	बैसिक लाइसेंस फीस (रु० में)	लाइसेंस फीस (रु० में)	योग (बिडमनी रु० में) (4+5)	स्वीकृत दुकानों की संख्या	व्यवस्थित दुकानों की संख्या	व्यवस्थित बैसिक लाइसेंस फीस (रु० में)	व्यवस्थित लाइसेंस फीस (रु० में)	योग (बिडमनी रु० में) (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

(आर०आर०मौर्य)
संयुक्त आबकारी आयुक्त(मुख्यालय)
कार्या० आबकारी आयुक्त,उत्तर प्रदेश।

संख्या 18282-390 /दस-लाइसेंस-248 /व्यवस्थापन परिणाम /2014-15 /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश।
- 4- श्री रामदेव प्रसाद, आबकारी निरीक्षक, लाइसेंस अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि श्री विवेक सिन्हा एवं श्री शिवाकान्त शुक्ला, वरिष्ठ सहायक के माध्यम से प्रत्येक चरण की सूचना संकलित करायक प्रस्तुत करेंगे।

5- जो ए.ए.के. मुख्यालय को ईमेल के माध्यम से सूचनाएं भेजी जायेंगी।
आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश।

(आर०आर०मौर्य)

संयुक्त आबकारी आयुक्त(मुख्यालय)
कार्या० आबकारी आयुक्त,उत्तर प्रदेश।